

रजिस्ट्री सं० फॉ० एल०-३३००४/९९

REGD NO. D.L.-33004/99



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2274]

नई दिल्ली, ब्रह्मस्तिवार, नवम्बर 22, 2012/अग्रहायण 1, 1934

No. 2274]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 22, 2012/AGRAHAYANA 1, 1934

ग्रामीण विकास मंत्रालय  
अधिसूचना

\* नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2012

का.आ. 2754(अ).—केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) को भारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अनुसूची के पैरा 1ख में खंड (xv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(xv) अंगनवाड़ी केन्द्रों का संर्विमाण”

[सं. जे.-11016/11/2012-एमजीएनआरईजी-6-VI]

राजेश भूषण, संयुक्त सचिव

टिप्पण.—महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) को पहली अनुसूची को प्रथमतः का.आ. सं. 323(अ), तारीख 6 मार्च, 2007 द्वारा संशोधित किया गया था और तत्पश्चात् निम्नलिखित का.आ. संख्याओं द्वारा संशोधित किया गया है, अर्थात् :—

- (i) का.आ. सं. 88(अ), तारीख 14 जनवरी, 2008;
- (ii) का.आ. सं. 1489(अ), तारीख 18 जून, 2008;
- (iii) का.आ. सं. 3000(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2008;
- (iv) का.आ. सं. 1824(अ), तारीख 22 जुलाई, 2009;
- (v) का.आ. सं. 1860(अ), तारीख 30 जुलाई, 2010;
- (vi) का.आ. सं. 1484(अ), तारीख 30 जून, 2011;
- (vii) का.आ. सं. 2202(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2011;
- (viii) का.आ. सं. 2423(अ), तारीख 21 अक्टूबर, 2011; और
- (ix) का.आ. सं. 1022(अ), तारीख 4 मई, 2012।

## MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 21st November, 2012

S.O. 2754(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), the Central Government on being satisfied that it is necessary and expedient so to do, hereby makes the following further amendments to Schedule I of the said Act, namely :—

In the said Schedule, in paragraph 1B, after clause (xv), the following clause shall be inserted, namely :—

“(xva) construction of anganwadi centres.”

[No. J-11016/11/2012-MGNREGA-(VI)]

RAJESH BHUSHAN, Lt. Secy

Note.—Schedule I of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005) was first amended *vide* number S.O. 323(E), dated the 6th March, 2007 and subsequently amended *vide* the following numbers :—

- (i) S.O. 88(E), dated the 14th January, 2008;
- (ii) S.O. 1489(E), dated the 18th June, 2008;
- (iii) S.O. 3000(E), dated the 31st December, 2008;
- (iv) S.O. 1824(E), dated the 22nd July, 2009;
- (v) S.O. 1860(E), dated the 30th July, 2010;
- (vi) S.O. 1484(E), dated the 30th June, 2011;
- (vii) S.O. 2202(E), dated the 22nd September, 2011;
- (viii) S.O. 2423(E), dated the 21st October, 2011; and
- (ix) S.O. 1022(E), dated the 4th May, 2012.